ऑन लाईन नं. RCMS 2024/48

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 12/2024

1. चिमन खां पुत्र श्री हाकम अली जाति मुसलमान साकिन खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री मोहन लाल माहर , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री गुरजीत वानर, राजकीय अधिवक्ता

अपील विरूद्व आदेश बअदालत तहसीलदार सादुलशहर बअनुवानी सरकार बनाम चिमन खां, प्रकरण संख्या 02/2024 आदेश दिनांक 28.03.2024 जिसकी रूह से अपीलाथी की फसल कुर्क कर बेदखल किया मनसूखी बाबत।

::आदेश::

दिनांक :–25.02.2026

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2024 एकपक्षीय रूप से बिना आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया है। प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलाधीन आदेश की सलंग्न अपील है।
2. यह कि प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 21 पीटीपी के मुरब्बा नम्बर 34–35 की 1.721 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलार्थी को आवंटन अधिकारी द्वारा अस्थाई आवंटन वर्ष 2005 तक किया जाता रहा। अपीलार्थी का वर्ष 2005 में स्थाई आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर में जेरकार है एवं एक अपील श्रीमान सम्भागीय आयुक्त बीकानेर में जेरकार है तथा जिसमें अन्तरिम निषेधाज्ञा भी दिनांक 13.04.2022 को जारी की गई जो आज दिनांक तक प्रभावी है।
3. यह कि विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस प्रकरण संख्या 02/2024 का तारीख पेशी दिनांक 05.02.2024 का अपीलार्थी को दिया गया, जिसकी जवाबदेही के आधार पर पत्रावली में पूर्व प्रसारित कुर्की का आदेश प्रत्याहारित (WIDHROW) किया गया, किन्तु विचारण न्यायालय ने पुनः पूर्व नोटिस के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।
4. यह कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत किया गया है। विधिनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अतिकर्मी को फसल अथवा निर्माण इत्यादि को समयावधि दी जानी चाहिये, यदि

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतिक्रमी निश्चित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाता है तो कुर्की आदेश पारित किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने यद्यपि में कुर्की आदेश दिनांक 31.01.2024 को प्रत्याहारित कर लिया था, परन्तु उसी नोटिस के आधार पर पुनः कुर्की आदेश पारित किया जो कि निरस्ती योग्य है।

5. यह कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई भी नोटिस अथवा सूचना अपीलार्थी को नही दी गई, इसलिये अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।
6. यह कि अपीलार्थी प्रश्नगत् कृषि भूमि पर साधिकार काबिजकाश्त है। अपीलार्थी का स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष जेरकार है, यहि नहीं माननीय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रश्तगत् कृषि भूमि के सम्बन्ध में मौके एवम् कियान्वती स्थगित दिनांक 13.04.2022 को कर रखी है फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।
7. यह कि अपीलार्थी एक गरीब कृषक है, जिसके जीवकोपार्जन हेतु यही एक मात्र कृषि भूमि है और मौके पर फसल कनक एवं सरसों पक्कर तैयार है। अपील के विचाराधीन यदि फसल की सार सम्भाल नहीं की तो अपीलार्थी बर्बाद हो जायेगा।
8. यह कि अन्य कानूनी व वाकेआती तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे, जिसके आधार पर अपील स्वीकार्य योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2024 को निरस्त फरमाया जावें तो जनबा की मेहरबानी होगी।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सादूलशहर का निर्णय दिनांक 28.03.2024 विधिसम्मत् है। अपीलार्थी द्वारा रकबा राज पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ हैं जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.03.2024 द्वारा तावान लगाया गया है। तहसीलदार सादूलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2024 न्यायसंगत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यो को अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 21 पीटीपी के मुरब्बा नम्बर 34–35 की 1.721 हैक्टेयर अपीलार्थी को आवंटन अधिकारी द्वारा अस्थाई आवंटन वर्ष 2005 तक की गई थी। अपीलार्थी का वर्ष 2005 में स्थाई आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर में जेरकार है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 21 पीटीपी के मुरब्बा नम्बर 34–35 की 1.721 हैक्टेयर की अपील श्रीमान सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के यहां विचाराधीन है जिसमें अन्तरिम निषेधाज्ञा भी दिनांक 13.04.2022 को जारी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की गई जो आज दिनांक तक प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक नोटिस प्रकरण संख्या 02/2024 तारीख पेशी दिनांक 05.02.2024 का अपीलार्थी को दिया गया, जिसकी जवाबदेही के आधार पर पत्रावली में पूर्व प्रसारित कुर्की का आदेश प्रत्याहारित (WIDHROW) किया गया, किन्तु विचारण न्यायालय ने पुनः पूर्व नोटिस के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी का स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष जेरकार होते हुए एवं माननीय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रश्तगत् कृषि भूमि के सम्बन्ध में मौके एवग् कियान्वती स्थगित दिनांक 13.04.2022 को कर रखी है फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.03.2024 निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलार्थी को उक्त विवादित भूमि का अस्थाई आवंटन वर्ष 2005 तक रहा है, परन्तु अपीलार्थी को बावजूद आवेदन उक्त विवादित भूमि पुख्ता आवंटित नहीं हुई और न ही 2005 के बाद आगामी टी.सी. नवीनीकृत हुई, ऐसी स्थिति में मौके पर भूमि राज्य सरकार में निहित होकर बाकायदा राजस्व रिकॉर्ड में अनाधिवासित प्रतिवेदित है। लिहाजा अपीलार्थीगण का इस भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2024 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादूलशहर द्वारा चक 21 पीटीपी के मुरब्बा नम्बर 34–35 की 1.721 हैक्टेयर कृषि भूमि रकबा राज रिकार्ड दर्ज भूमि पर अपीलार्थी चिमन खां पुत्र हाकमअली जाति मुसलमान निवासी खैरूवाला ने अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का खैरूवाला प्राप्त होने पर प्रकरण राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत दर्ज कर अप्रार्थीगण की सुनवाई कर रकबा राज भूमि पर नाजायज काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। उक्त विवेचन से तहसीलदार सादूलशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2024 विधिसम्मत है और इसमें दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः तहसीलदार सादूलशहर का आदेश बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सादूलशहर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner